"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107] रायपुर, शनिवार, दिनांक 2 अप्रैल 2011—चैत्र 12, शक 1933

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

आदेश

क्र. 2485/828/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 332/II-2-16/2001/गोपनीय/2009 बिलासपुर, दिनांक 23-04-2009 के अनुपालन में श्री विजय भूषण सिंह, सदस्य उच्च न्यायिक सेवा की सेवाएं इस विभाग के आदेश क्रमांक 2914/1069/XXI-B/C.G./09 रायपुर, दिनांक 24-04-2009 के द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को सौंपी गई थी. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश क्रमांक 242/II-2-1/2011/गोपनीय/2011 बिलासपुर, दिनांक 29 मार्च 2011 के अनुपालन में श्री विजय भूषण सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, कोरबा की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेते हुए माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतद्द्वारा वापस सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.